International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 14-06-2021, Accepted: 30-06-2021, Published: 16-07-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 34-37

देश की अखंडता और दीन दयाल उपाध्याय

सन्नी शुक्ला
शोधार्थी, दीन दयाल उपाध्याय पीठ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश, भारत

सारांश
भारत में ब्रिटिश राज आने के सौ बर्ष बाद पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष को भली भांति देखा और समझा। उनके बचपन में ब्रिटिश राज के विरूद्ध संघर्ष नया मोड़ ले रहा था। जब उन्होंने अपने जीवन के तीस वर्ष पार किए तब देश स्वतंत्र होने के साथ–साथ विभाजित भी हो चुका था। आधुनिक भारत में कई ऐसे महान पुरूष हैं, जिनको वर्तमान और आने वाली पीढ़ी कभी भी नहीं भुला सकती। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, डा. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीम राव अम्बेडकर जैसे महान पुरूषों के जीवन को आदर्श मानते हुए हम अपने जीवन का निर्वहन भी कर रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई स्वातंत्रय वीरों ने अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में हंसते–हंसते डाल दी। जिस भारत को आजाद करवाने में कई वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी भारत की अखंडता को बनाए रखना और उसे सुखी तथा समृद्ध बनाना सरकारों के साथ–साथ आम समाज का दायित्व भी बनता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की एकता और अखंडता के लिए जनसंघ द्वारा निरंतर कार्य किया जाता रहा। कश्मीर भारत के लिए अनसुलझी सी पहेली बन चुका था और इस पहेली को उलझाने वाले कुछ अलगाववादी नेता थे। जिन्होंने हमेशा अपने निजी हितों को आगे रखकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। सांस्कृतिक रूप से भी कश्मीर भारत की पहचान है। हमेशा से एक सच्चा भारतीय कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता रहा है परंतु भारत के ही राजनीतिज्ञों द्वारा इस तरह का मौहोल बनाया गया कि कश्मीर अपने आप में भारत से अलग होने लगा। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिससे कश्मीर में समस्याओं का जमावड़ा लग गया। दीन दयाल उपाध्याय ने जब राजनीति में प्रवेश किया, उस समय आधुनिक इतिहास में एक राजनीतिक कालखंड समाप्त होकर स्वतंत्रता के बाद का दूसरा कालखंड शुरू हो चुका था। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद कश्मीर पर कबाईलियों के साथ मिलकर पाकिस्तान का हमला करना भी बहुत दुर्भाग्यपुर्ण रहा। उस समय राजनीतिज्ञों की गलत नीतियों तथा मूर्खता के कारण पाकिस्तान का कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा हो गया। जो कि वर्तमान समय तक आजाद कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है। कश्मीर का अन्य रियासतों की भांति भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो पाया था और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू के साथ जुगलबंदी कर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करवा लिया था। कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक काला अध्याय बन कर सामने आई जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह था कि यह भारत की अखंडता और एकता के लिए कुठाराघात था। अनुच्छेद 370 की आड़ में ही अलगाववादी नेता अपना विकास तो कर गए पर वहीं कश्मीर का विकास नहीं कर पाए। जनसंघ अपने स्थापना काल से ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करते आया है और इसी विरोध के चलते भारत की अखंडता और एकता के लिए इस आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान तथा दीन दयाल उपाध्याय का योगदान हमेशा याद रहेगा।

मूल शब्दः देश की अखंडता, अनुच्छेद 370

प्रस्तावना
वर्तमान शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि कश्मीर भारत के लिए कसौटी किस तरह बना और क्या कारण रहे कि अन्य रियासतों की तरह कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हो पाया। भारत सरकार के द्वारा एक बार फिर से उस गलती को दोहराया जाने लगा था, जो कि ब्रिटिश काल में मुस्लिम लीग को बढ़ावा देकर की गई थी। मुस्लिम लीग का रैवेया तो स्पष्ट हो गया था कि उसने पाकिस्तान का निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष भारत सरकार की उन कमजोर, अनैतिक और आत्मघाती नीतियों के विरूद्ध था, जिसमें कश्मीर को एक पृथक ईकाई मानकर उसके आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया था। कश्मीर आंदोलन के नेताओं द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि कश्मीर के आत्मनिर्णय का सिद्धांत उतना ही गलत एवं घातक है, जितना कि मुस्लिम लीग का आत्मनिर्णय का सिद्धांत था। उन्होंने सपष्ट कर दिया था कि भारत सरकार भी पुनः द्विराष्ट्रवाद के कदमों पर चल रही है। इन्हीं कमजोर नीतियों का फ़ायदा शेख अब्दुल्ला द्वारा उठाया जा रहा था और उसके द्वारा स्वतंत्र कश्मीर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। कश्मीर की अपनी अंतरराष्ट्रीय महत्ता है कि विश्व की हर ताकत की आंखे वहां लगी रहती हैं। पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीन व रूस तथा उत्तर–पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस कश्मीर राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित कर संपूर्ण ऐशिया का नियंत्रण किया जा सकता है, इस बात को दुनिया की हर ताकत अच्छी तरह से महसूस करती है।

ब्रिटिश शासन और कश्मीर
जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज भी कश्मीर पर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहते थे और उसे अपने हाथ से गवाना नहीं चाहते थे। 1846 में अंगेजों के साथ जम्मू और लद्दाख के शासक महाराजा गुलाब सिंह की अमृतसर संधि हुई, जिसमें कश्मीर घाटी को भी अपने राज्य में मिला लिया और इस प्रकार कश्मीर राज्य की वे सीमाएं प्राप्त हुई जो पाकिस्तान अधिकृत आजाद कश्मीर क्षेत्र को मिलाकर आज भी विद्यमान हैं। उस समय अंग्रेजों ने शासन की असुविधा का अनुभव कर तथा डोगरा जाति की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा किया था।

रूस की शक्ति को रोकने तथा संपूर्ण ऐशिया पर अपना आधिपत्य जमाने की उत्सुक अंग्रेजी सत्ता को महाराजा गुलाब सिंह के साथ की गई संधि की अपनी भूल का अनुभव हुआ और उसने अब षड़यंत्र रचना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सत्ता के पैर जब पंजाब में पूरी तरह से जम गए तो उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की कार्यों में हस्तक्षेप करना धीरे–धीरे शुरू कर दिया। 1853 में अंग्रेजों ने नियमित रूप से एक अंग्रेज रेसीडेंट कश्मीर में रखने का सुझाव दिया, उस समय महाराजा गुलाब सिंह का निधन हो चुका था और अब महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र रनवीर सिंह के हाथो शासन की बागडोर थी। महाराजा रनवीर सिंह ने अंगेजो के इस सुझाव का डटकर विरोध किया और अंग्रेजों के इस जाल में नहीं फंसे। जैसे ही महाराजा रनवीर सिंह का निधन हुआ, अंगेजों का यह प्रर्यत्न 12 वर्ष बाद 1885 में सफल हो गया और एक अंग्रेज रेसीडेंट वहां रहने लगा। अंग्रेज तो मात्र एक रेसीडेंट वहां रखने से संतुष्ट नहीं थे, वो तो अपना पूर्ण नियंत्रण कश्मीर पर करना चाहते थे। सन् 1889 में उन्होंने एक गुप्त षड़यंत्र फिर से रचा पर उसका भांडाफोड कार्यान्वित होने से पहले ही हो गया। भारतीय समाचार पत्रों ने जिसमें 'अमृत बाजार पत्रिका' का नाम प्रमुख है, इस षड़यंत्र का भारतीय जनता के सामने पर्दाफाश किया। इस तरह अंग्रेजो का यह प्रयास भी असफल रहा। अंग्रेज हमेशा यह मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे कश्मीर को अपने नियंत्रण में लिया जाए। उन्होंने एक बार फिर मुस्लिमों को अपना हथियार बनाते हुए 'मुस्लिम सांप्रदायिकता' को बल दिया। दीन दयाल उपाध्याय अपनी पुस्तक के शीर्षक 'कश्मीर के मोर्चे पर' में लिखते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के शिकार कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी यदि महाराजा के उन शब्दों की सार्थकता को समय रहते समझ लेते जो आज यह दुभाग्यपूर्ण दिवस न देखना पड़ता। 'उस समय की गंभीरता को अनुभव कर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह कश्मीर राज्य का डाक तार विभाग अपने कब्जे में कर ले। इस प्रार्थना के द्वारा महाराजा ने भारत सरकार को संकेत किया था कि वे 'कश्मीर का भारत में विलयन हो' इस विचार के पूर्ण समर्थक हैं। केवल शेख अब्दुल्ला सरीखे विश्वासघाती के हाथ कश्मीर को सौंपकर कश्मीरी जनता को अपने हाथों अंधकार के कुएं में पटकना नहीं चाहते।'[1] महाराजा हरिसिंह द्वारा जब यह घोषणा की गई कि भारतीय जनता की स्वाधीनता प्राप्ति की आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं, तो अंग्रेज साम्राज्य हिल गया और मुस्लिम कान्फ्रेंस के नाम पर सन् 1930 में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हिंदू–मुस्लिम दंगे करवाए, जिसमें कई जानें गई और हिंदू–मुस्लिम रिश्तों में और कड़वाहट उत्पन्न हुई। 'ग्लेंशी कमीशन' के द्वारा अंग्रेजों ने मुसलमानों को राज्य में कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाईं और शेख अब्दुल्ला को अपने एजेंट के रूप में कश्मीर में खड़ा कर दिया।

प्रजा परिषद् और जनसंघ

कश्मीर राज्य में प्रजा परिषद संगठन लगातार कश्मीर का भारत में विलय करवाने के लिए अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा था। पर हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला के जाल में फंस चुके थे और प्रजा परिषद संगठन को कुचलने का लगातार प्रयास कर रहे थे। प्रजा परिषद के नेता प्रेम नाथ डोगरा के साथ–साथ कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थीओं को बार–बार जेल में डालकर भयंकर यातनाएं दी जा रहीं थी। सन् 1937 में मुस्लिम कांन्फ्रेंस के नाम से स्थापित हुई संस्था को, जो मुस्लिम लीग का ही भाग था, सन् 1947 में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांन्फ्रेंस में परिणत कर दिया। शेख अब्दुल्ला ने प्रजा परिषद को खत्म करने के लिए जमकर प्रयास किया। दीन दयाल उपाध्याय अपनी पुस्तक में कश्मीर की समस्या पर लिखते हैं कि 'कश्मीर को भारत से अलग करने की शेख अब्दुल्ला को चुनौती भारत की कोटि कोटि संतानों को चुनौती थी। 29 जून को समस्त भारत में कश्मीर दिवस मनाते समय देश की तरूणाई ने उन सभी वीरों को, जिन्होंने कश्मीर की रक्षा में अपने जीवन की बलि चढ़ाई, याद कर गंभीर स्वर में घोषित किया कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, और इस पवित्र संबंध को किसी भी प्रकार धक्का पहुंचाने वाला भारत का शत्रु होगा।'[2] भारतीय जनसंघ कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय करने का पक्षधर था। देश की अखंडता और एकता से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता, यह जनसंघ के नेताओं के स्वर थे। जनसंघ ने जैसे ही अपना आंदोलन शुरू किया वैसे ही जन जागरण के माध्यम से अपने तीन नारों का एक स्वर में उद्घोष किया।

एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे
एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे
एक देश में दो निशान, नहीं चलेंगे।।

अपने इन नारों का उद्घोष करते हुए जम्मू प्रजा परिषद के साथ मिलकर आंदोलन का शंखनाद करते ही स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का ही रहेगा। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर के अलगाववादी तथा देशद्रोही नेता भारत की अखंडता को तोड़ कर खंडित करने का प्रयास कर रहे थे। जम्मू में आंदोलन को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने जमकर आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए।

अनुच्छेद 370 और कश्मीर

स्वतंत्र होने के पश्चात अन्य 554 रियासतों का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा हमला कर दिया गया और लड़ाई की स्थिती होने के कारण कश्मीर का अन्य रियासतों की भांति पूरी तरह विलय नहीं हो पाया। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर भारत कश्मीर के उस समय के संबंधों का दिग्दर्शन कराया गया और भावी कश्मीर की दिशा इंगित की गई। अस्थाई और अंतरिम प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 370 में यह स्पष्ट दिया है कि भारत और कश्मीर के संबंध तीन मामलों रक्षा, विदेश और संचार तक सीमित रहेंगे। उसी अनुच्छेद की धारा तीन में यह भी कहा गया है कि कश्मीर के संविधान सभा के अभिस्ताव पर भारत के प्रधान यह घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह समाप्त हो गया अथवा उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया। विधान निर्माताओं की यह अपेक्षा थी कि उस समय चाहे कश्मीर को अन्य 'ख' श्रेणी राज्यों के समकक्ष न रखा जाए, किंतु वह दिन अवश्य आएगा जब अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाएगा और कश्मीर भी पूर्णतया 'ख' श्रेणी का राज्य होकर भारत में मिल जाएगा। 'ख' श्रेणी में सभी भूतपूर्व रियासतों या उनके समूहों को शामिल किया गया था। दीन दयाल उपाध्याय अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि पच्चीस हजार जनता की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डा मुखर्जी ने कहा, 'जैसा पंडित नेहरू कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्या यह शर्म की बात नहीं है कि इसी कश्मीर का एक हिस्सा पकिस्तान के हाथ में है और हम उसके उद्धार के लिए कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं। जब तक यह हिस्सा वापिस नहीं लिया जाता, तब तक कश्मीर का युद्ध हमारे लिए विजयपूर्वक समाप्त नहीं हुआ।'[3] डॉ. मुखर्जी को जम्मु में षडयंत्र के तहत गिरफतार किया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु भी कर दी गई जो कि आज तक रहस्य ही बनी हुई है। 23, जून 1953 को एक सच्चे राष्ट्रभक्त का निधन हो गया। पकिस्तान हमेशा से कश्मीर पर अपना दावा करता आया है और उसने कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पंडित जी कहते हैं, 'हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतरराष्ट्रीयता एवं राष्ट्र के सम्मान के स्थान पर शांति को अधिक महत्व दिया है और इसलिए कश्मीर

में युद्ध विराम स्वीकार कर समझौते का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु पकिस्तान कश्मीर में उनके इन दोनों सिद्धांतो की भी हत्या करना चाहता है। इसलिए वास्तव में अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है।'[4] कश्मीर भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर को भारत में पूरी तरह विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह अन्य रियासतों की तरह कश्मीर भी भारत का संपूर्ण अंग बन चुका था पर कश्मीर के ही अलगाववादी नेता अपनी स्वतंत्र प्रभुत्ता कश्मीर में स्थापित कर अपने निजी हितों तथा स्वार्थो को साधने में लगे हुए थे।

कश्मीर समस्या की पृष्ठभूमि पर बात करते हुए दीन दयाल उपाध्याय अपनी पुस्तक हमारा कश्मीर में भी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 'कश्मीर की समस्या को हमारी सरकार ने पग–पग पर गलती करके पेचीदा बना दिया है। कश्मीर को अलग राष्ट्र मानकर उसे आत्मनिर्णय का अधिकार देना एक प्रकार से द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मानना है। एक देश में एक संविधान सभा हो सकती है, एक ही राष्ट्र ध्वज हो सकता है तथा एक ही राष्ट्रगीत।'[5] एक देश में एक विधान ही हो सकता है और भारत ने तो एकसंघीय संविधान स्वीकार किया है। राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्त अधिकार है, किंतु कश्मीर के लिए अलग संविधान की व्यवस्था करना प्रांतीय स्वायत्ता नहीं बल्कि पृथकतावाद है। इस तरह सभी राज्यों की तरफ से अगर यह मांग उठती है तो यह भारत की अखंडता तथा एकता पर कुठाराघात होगा। राजनीतिक दल होने के नाते सिर्फ जनसंघ एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसने कश्मीर में उत्पन्न समस्या को एक जन–आंदोलन के रूप में लाकर खड़ा किया। जम्मू में प्रजा परिषद के साथ मिलकर जनसंघ ने जम्मू से आदोंलन की शुरूआत कर इसे संपूर्ण भारत में लाकर खड़ा किया।

वर्तमान केंद्र सरकार और भारत की अखंडता

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा कार्य कर रही है। अखंड भारत के साथ ही समृद्ध और सुरक्षित भारत की कल्पना अपने स्थापना काल से ही जनसंघ द्वारा की गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनके उत्तराधिकारियों की तब और अधिक बन जाती है, जब केंद्र में उन्हीं की पूर्ण तथा प्रचण्ड बहुमत की सरकार हो। अनुच्छेद 370 का हमेशा से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा गलत उपयोग किया गया है और भारत की अखंडता तथा एकता के साथ खिलवाड़ होता रहा है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के बाद अनुच्छेद 370 तथा 35–ए को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का भारत में पूरी तरह से विलय कर दिया जाता है। भारतीय जनसंघ, प्रजापरिषद के उन कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजली भारत की केंद्रीय भाजपा समर्थित सरकार द्वारा दी गई, जिन्होंने कश्मीर आंदोलन में राष्ट्र हित में अपने प्राणों को न्यौछावर किया।

भारतीय जनता पार्टी पर अन्य राजनीतिक दलों द्वारा हमेशा से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि यह सांप्रदायिक संगठन है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप इसलिए भी लगाए जाते रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रवादी संगठन हिंदूओं की बात करता आया है। स्वर्गीय श्रीमति सुषमा स्वराज भी अपने एक वक्तव्य में कहती हैं, 'हमे सांप्रदायिक कहा जाता है और हां हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदेमातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम हिंदूस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को समझते हैं।'[6] भारतीय जनता पार्टी ने अपने ईरादे पहले से ही स्पष्ट कर रखे थे कि धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर अपने भाषणों में 370 को समाप्त करने का जिक्र करते रहते थे। अपने संकल्प पत्र में भी यह घोषणा की गई थी कि अगर भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो धारा 370 को जम्मू से समाप्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कठुआ में दिया गया चुनावी रैली में भाषण जिसमें उन्होंने भारत की एकात्मता के लिए धारा 370 को हटाने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा की, 'यहां के अलगाववादी नेता आए दिन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं, खून खराबे की धमकी दे रहे हैं, यहां अलग प्रधानमंत्री बनाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यह पाकिस्तान भी न्यूकिलर–न्यूकिलर कह कर धमकाता रहता था और इनके न्यूकिलर की हवा निकल चुकी है। उसी तर्ज पर अलगाववादी नेताओं द्वारा भी धमकियां दी जा रही हैं, दो प्रधान, दो प्रधान। उन्होंने कहा था कि मै इन वंशवादियों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीहत में लिखवाकर नहीं लाया है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है।'[7] कांग्रेस ने जो पाप किया है और स्वतंत्रता के पश्चात जो गलतियां की है भारत आज तक भुगत रहा है। आजादी से पहले की कांग्रेस कुछ और थी और स्वतंत्र होने के पश्चात गांधी जी की विदाई के बाद कांग्रेस का रूप कुछ और है। भाजपा ने पहले से ही अपनी रूपरेखा तैयार कर रखी थी, बस इंतजार था प्रचण्ड बहुमत का और बहुमत मिलते ही भाजपा ने धारा 370 को हटाने को अपना संकल्प पूरा किया। धारा 370 को हटाने तथा जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विल को राज्यसभा में प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जम्मू कश्मीर में लंबे रक्तपात का अंत धारा 370 के समाप्त होने से हुआ है। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, पूरे देश में विकास होता नजर आ रहा है और जब घाटी के किसी गांव की ओर देखते हैं, तो मन में बहुत दुख और चिंता होती है कि आजादी के 70 साल बाद भी क्यों गरीबी में जी रहे हैं। शिक्षा लेने के लिए वहां के बच्चों को देश भर के अन्य शिक्षण संस्थानों में जाना पड़ता है, साथ ही यह महिला विराधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी है। सदन मे उन्होंने कहा कि धारा 370 अगर अच्छी है तो सब के लिए अच्छी है और अगर बुरी है तो सब के लिए बुरी है, यह किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय के लिए अच्छी या बुरी नहीं है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते।'[8] जिस संकल्प को जनसंघ ने स्थापित किया उसे वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरा किया गया। कश्मीर में अनुच्छेद 370 तथा 35–ए भारत के लिए काफी लंबे समय से समस्या बन कर देश की अखंडता और एकता में बाधक बनी हुई थी।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कश्मीर तथा समस्त भारत की एकात्मता को समझ नहीं पाए, ऐसा प्रतीत होता है। देश की अखंड़ता के दुश्मन शेख अब्दुल्ला के जाल में फंसे रहे और कश्मीर को गंभीर समस्या बनाते रहे। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हो तो उन सूत्रों को अधिक सुदृढ़ करना चाहिए, जिन्होंने प्राचीन काल से हमें एकत्र रखा है। नेहरू की उदारता भारत के राष्ट्रीय हितों को कई बार अनदेखा करती गई। कांग्रेस के आने वाले उनके उत्तराधिकारी भी भारत की एकात्मता को समझ नहीं पाए और कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने इसका जमकर फायदा उठाकर अपना

निजी विकास किया तथा कश्मीर को अविकसित ही रखा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश पर जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर अनुच्छेद 370 तथा 35–ए को हटाया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था परंतु अब इस धारा को समाप्त करने से भारतीय ध्वज को सम्मान करना वहां के हर नागरिक को अनिवार्य होगा और राज्य का अपना कोई झंडा नहीं होगा। पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, परंतु अब भारत के ही नागरिक होंगे। जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा सकते थे किंतु अब मतदात सूची में नाम दर्ज करवाने के पश्चात वोट का अधिकार अन्य नागरिकों को भी मिल जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय के आदेश भी जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे, परंतु अब अन्य राज्यों की भांति ही उच्च न्यायालय के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य होंगे। भारत के अन्य राज्यों के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पहले भूमि नहीं खरीद सकते थे, परंतु अब भारत का नागरिक जमीन खरीद सकेंगे। संसद के पास कानून बनाने के सीमित अधिकार ही थे, किंतु अब संसद के पास वो पूरे अधिकार होंगे जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने का जबाव भी इसके खंड 3 में ही छुपा हुआ था। अनुच्छेद 370 को तीन खंडों में बांटा गया था। खंड तीन में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति आदेश जारी कर अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकता है पर 370 (3) में यह प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमती लेना जरूरी होगी। यहां ध्यान योग्य बात यह है कि धारा 370 में से खंड दो और खंड़ तीन को हटाया गया है। जबकि खंड एक को यथास्थिती में रखा गया है, क्योंकि खंड एक में ही यह प्रावधान है, कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में आतंकवाद तथा पिछड़ेपन का यही कारण रहा है कि अनुच्छेद 370 तथा धारा 35–ए ने गलत स्वरूप धारण कर लिया था। यही वजह रही कि आज तक कश्मीर के लोग अपने को पहले कश्मीरी समझने लगे तथा भारतीय बाद में। अनुच्छेद 370 का नाजायज फायदा उठाकर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने अपने वंशवादी राजनीतिक परंपरा को आगे रखकर आम व्यक्ति को पिछड़ेपन का शिकार बनाकर शेष भारत से वंचित करके रखा।

संदर्भ सूची

1. कश्मीर के मोर्चे पर', संपादकः रामशंकर अग्निहोत्री, दीन दयाल उपाध्याय, खंड 3
2. पांच्चजन्य, 29 जून 1952, दीन दयाल उपाध्याय, खंड 3, नंदनवन झुलस गया, पृ 292
3. दीन दयाल उपाध्याय, खंड तीन, कश्मीर के मोर्चे पर, पृ 297
4. दीन दयाल उपाध्याय, खंड तीन, कश्मीर समस्या का हल जनमत संग्रह नहीं, (पांच्चजन्य, 27 जून 1955) पृ 186
5. दीन दयाल उपाध्याय, संपूर्ण वांडमय, खंड़ दो, हमारा कश्मीर, पृ 170
6. Historic Speech of Smt. Sushma Swaraj in Lok Sabha: 11.06.1996, Bhartiya Janata Party, You Tube Channel, Published on March 27, 2012
7. J&K is An Integral Part of India'PM Modi on Article 370 In Kathua Mega Rally,India Today, You Tube Channel, Published on April 14,2019
8. Home Minister Shiri Amit Shah's speech on the abrogation of Article 370, Bhartiya Janata Party, You Tube Channel, Published on August 5,2019